15

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–47/2018–19

अनन्त लाल राय

बनाम्

मंटू राय वगै0

–: आदेश :–

दिनांक

09.11.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता अनन्त लाल राय पे0–स्व0 जागेश्वर राय सा0–धोबइ थाना–पोड़ैयाहाट जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–32/2016–17 आदेश दिनांक–28.08.2018 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–32/2016–17 आदेश दिनांक–18.08.2018 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा धोबइ नं0–88 जमाबंदी नं0–32 दाग नं0–158 रकवा–00–09–18 धुर जमीन एवं दाग नं0–147 रकवा–00–11–00 धुर कुल रकवा 01–01–08 धुर जमीन बदरी राय सहित कई व्यक्तियों का नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। लेकिन पर्चा के दखल कॉलम में सिर्फ भोला राय का नाम दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत भोला राय को एक पुत्र जागेश्वर राय हुए एवं अपीलकर्त्ता जागेश्वर राय के पुत्र है तथा जागेश्वर राय की मृत्यु के बाद सम्पुर्ण जमीन पर वैद्य उत्तराधिकारी होने के आधार पर उक्त जमीन का जोत आबाद कर रहे है। उनका आगे कथन है कि मौजा अखरा के दाग नं0–11 एवं 63 की जमीन के दखल कॉलम में सिर्फ जमाबंदी रैयत भोला राय का नाम दर्ज है। उक्त दाग की जमीन पर जमाबंदी रैयत दीना राय का नाम दर्ज नहीं है। जमाबंदी रैयत दीना राय लघोर थे। इसलिए उक्त दाग की जमीन पर दीना राय का नाम दर्ज नहीं किया गया था। निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के द्वारा उठाये गये तथ्यों पर कानून संगत विचार नहीं किया। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी मंटु राय, प्रफूल राय एवं किसन राय के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता और उत्तरवादीगण के पूर्वज गुली राय थे। दोनों ही पक्ष गुली राय के वंशज है। गुली राय अपने पीछे तीन पुत्र मेघु राय, दीना राय एवं भोला राय को छोड़कर फौत कर गये। अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत भोला राय के वंशज है एवं उत्तरवादीगण जमाबंदी रैयत दीना राय के वंशज है। उनका आगे कथन है कि मौजा अखरा जमाबंदी सं0–7 जमाबंदी रैयत बद्री राय, जेनन राय उर्फ देव नारायण राय, दीना राय एवं भोला राय के नाम से दर्ज है। लेकिन पर्चा के दखल कॉलम में अलग–अलग दाग नं0 की जमीन पर बद्री राय, देवनंदन राय उर्फ जेनन राय एवं भोला राय का नाम दिखाया गया है। लेकिन उत्तरवादीगण जमाबंदी रैयत जमीन दीना राय वंशज होने के नाते उक्त जमाबंदी की जमीन पर उत्तरवादीगण का भी दखल कब्जा कायम है। उनका आगे कथन है कि मौजा घोबई जमाबंदी सं0–32 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बद्री राय, देवनंदन राय, भोला राय एवं दीना राय के नाम से दर्ज है। लेकिन उक्त जमाबंदी की जमीन के दखल क्यारी में जमाबंदी रैयत दीना राय का दखल नहीं दिखाया गया है। जमाबंदी रैयत भोला राय ने जमाबंदी रैयत बद्री राय एवं देव नंदन राय को मिलाकर पर्चा के दखल क्यारी में नाम दर्ज नहीं कराया था। लेकिन जमाबंदी दीना राय जमाबंदी रैयत भोला राय के अपना भाई थे। उनका आगे कथन है कि वर्तमान सर्वे में उत्तरवादीगण के पिता तिवारी राय के विरूद्ध आर0ई0आर0 केश नं0–04/92 चलाया गया था। लेकिन उत्तरवादीगण के पिता का उक्त जमीन पर दखल कायम था। इसलिए उत्तरवादीगण के पिता तिवारी राय को उक्त जमीन से उच्छेद नहीं किया गया। बल्कि दखल में रहने के कारण तिवारी राय के नाम से खाता खोलने का आदेश दिया गया। इस प्रकार दोनो ही पक्ष एक जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वंशज है एवं दोनो ही पक्ष का उक्त जमाबंदी की जमीन पर अपने अपने हिस्से के अनुसार दखल कायम रहने के कारण निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–149/रा0 दिनांक–17.03.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा अखरा थाना नं0–86 जमाबंदी नं0–07 जमाबंदी रैयत बदरीराय वो देवनन्दन राय पेशरान मेघु राय वो दीना राय वो भोला राय पेशरान गुली राय कौम घटवार शा देह कहकर दर्ज है। पुनः मौजा

धोबइ थाना नं0–88 जमाबंदी नं0–32 जमाबंदी रैयत बदरी राय वो चेतन राय पेशरान मेघु राय वो भोला राय वल्द गुली राय कौम घटवार शा देह टोला अखरा कहकर दर्ज है। दोनो एक ही जमाबंदी के वंशज है। मौजा धोबइ के जमाबंदी सं0–32 केफियत के दखल में दीना राय का नाम नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय को अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा अखरा न0 86 जमाबंदी सं0–07 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बदरी राय वो देवनंदन राय पेशरान मेघू राय वो दीना राय वो भोला राय पे0–गुली राय के नाम से दर्ज है तथा मौजा धोबइ नं0–88 जमाबंदी सं0–32 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बदरी राय वो जेनन राय पेसरान मेघू राय वो भोला राय वल्द गुली राय के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय में अखरा के जमाबंदी सं0–7 दाग नं0–107 एवं दाग नं0–111 रकवा –00–14–02 धुर एवं मौजा धोबइ जमाबंदी सं0–32 दाग नं0–158 एवं दाग नं0–147 रकवा–01–01–08 धुर जमीन उत्तरवादी को उच्छेद करने का अनुरोध किया था। अपीलकर्त्ता ने जमाबंदी रैयत भोला राय के वंशज एवं उत्तरवादीगण ने जमाबंदी रैयत दीना राय के वंशज के आधार पर दावा किया है। दोनों ही जमाबंदी रैयत के पिता का नाम गुली राय अंकित है। इसलिए दोनों ही पक्ष का दावा स्वत्व पर आधारित होने के कारण स्वत्व का मामला प्रतीत होता है और स्वत्व से सम्बंधित मामला प्रतीत होने के कारण इस स्तर से निर्णय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन से भी प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्ष एक ही जमाबंदी के वंशज है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–32/2016–17 में दिनांक–28.08.2018 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

09/11/2

उपायुक्त,
गोड्डा।

09/11/2

उपायुक्त,
गोड्डा।

डी0 नी0 206
23/11/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:37:38 +05:30
Location: 192.168.29.8